


उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2
संख्या: 92 /XXX(2)/2026 30(13)2025
देहरादून: दिनांक 09 जुलाई, 2026

अधिसूचना संख्या: 412037 /XXX(2)/2026-E 72801, दिनांक 09 जुलाई, 2026 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया (संशोधन) नियमावली, 2026 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
9. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।।
13. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
14. सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून।
15. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त नियमावली को मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
17. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
18. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर।
19. गार्ड फाईल।

संलग्नक: यथोक्त।

आज्ञा से

(गिरधारी सिंह रावत)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2
संख्या: 4/2037/XXX(2)/2026-E 72801
देहरादून, दिनांक: 09 जून, 2026
अधिसूचना जुलाई
प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:-

उत्तराखण्ड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया (संशोधन) नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया (संशोधन) नियमावली, 2026 है।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 10 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025, (जिसको यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

10. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस कलेण्डर वर्ष में रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जायें, उस वर्ष की प्रथम जुलाई को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;

परन्तु उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाये।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

10. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस कलेण्डर वर्ष में रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जायें, उस वर्ष की प्रथम जुलाई को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए;

परन्तु उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), प्लाटून कमाण्डर/गुल्मनायक (पी0ए0सी0/आई0आर0बी0), अग्निशमन द्वितीय अधिकारी तथा वन दरोगा के पदों को छोड़कर इस नियमावली के प्रख्यापन की दिनांक से दिनांक 31 दिसम्बर, 2028 तक सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु परिशिष्ट-"क" में उल्लिखित पदों पर लागू संगत सेवा

नियमावली के अनुसार होगी;

परन्तु यह भी कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाये।

नोट:—कैलेण्डर वर्ष 2029 की प्रथम दिनांक के पश्चात मूल नियमावली का आयु सम्बन्धी नियम-10 परिशिष्ट-“क” में उल्लिखित समस्त पदों पर समान रूप से प्रभावी हो जायेगा।

परिशिष्ट-“ख”(1) एवं परिशिष्ट-“ख”(2)
का संशोधन

मूल नियमावली में विद्यमान परिशिष्ट-“ख”(1) एवं परिशिष्ट-“ख”(2) के स्थान पर संलग्न परिशिष्ट-“ख”(1) एवं परिशिष्ट-“ख”(2) रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Shailesh Bagauli
Date: 09-07-2026
14:40:10

(शैलेश बगौली)
सचिव।

परिशिष्ट-“ख(1)”-शारीरिक मानक

इवेंट नाम	पदनाम/विभाग का नाम													
	उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), प्लाटून कमाण्डर/गुल्मनायक (पी0ए0सी./आई0आर0बी0) (गृह विभाग)		अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (गृह विभाग)		उपकारापाल (गृह विभाग)		वन दरोगा (वन विभाग)		उपनिरीक्षक (आवकारी विभाग)		प्लाटून कमाण्डर (होमगार्ड विभाग)		क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी (युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग)	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
ऊंचाई मानक(सेमी)	सामान्य / एस.सी. / ओ.बी.सी. 167.7	152	सामान्य / एस.सी. / ओ.बी.सी. 167.7	152	सामान्य / एस.सी. / ओ.बी.सी. 165	152	सामान्य / एस.सी. / ओ.बी.सी. 163	150	सामान्य / ओ.बी.सी. 167.6	152	सामान्य / एस.सी. / ओ.बी.सी. 165	152	सामान्य / एस.सी. / ओ.बी.सी. 165	152
	एस.टी. 160	147	एस.टी. 160	147	एस.टी. 157.5	147	एस.टी. 152	145	एस.सी. / एस.टी. 160	147	एस.टी. 157.5	147	एस.टी. 157.5	147
	पर्वतीय 162.6	147	पर्वतीय 162.6	147	पर्वतीय 160	147	पर्वतीय 152	145	पर्वतीय 162.6	147	पर्वतीय 160	147	पर्वतीय 160	147
सीने की माप(सेमी)	सामान्य / एस.सी. / ओ.बी.सी. 78.8	-	सामान्य / एस.सी. / ओ.बी.सी. 78.8	-	सामान्य / एस.सी. / ओ.बी.सी. 78.8	-	सामान्य / एस.सी. / ओ.बी.सी. 78.8	-	सामान्य / एस.सी. / ओ.बी.सी. 78.8	-	सामान्य / एस.सी. / ओ.बी.सी. 78.8	-	सामान्य / एस.सी. / ओ.बी.सी. 78.8	-
बिना फुलाए	एस.टी. / पर्वतीय 76.5	-	एस.टी. / पर्वतीय 76.5	-	एस.टी. / पर्वतीय 76.5	-	एस.टी. / पर्वतीय 76.5	-	एस.टी. / पर्वतीय 76.5	-	एस.टी. / पर्वतीय 76.5	-	एस.टी. / पर्वतीय 76.5	-
सीने की माप(सेमी)	सामान्य / एस.सी. / ओ.बी.सी. 83.8	-	सामान्य / एस.सी. / ओ.बी.सी. 84.3	-	सामान्य / एस.सी. / ओ.बी.सी. 83.8	-	सामान्य / एस.सी. / ओ.बी.सी. 83.8	-	सामान्य / एस.सी. / ओ.बी.सी. 83.8	-	सामान्य / एस.सी. / ओ.बी.सी. 83.8	-	सामान्य / एस.सी. / ओ.बी.सी. 83.8	-
फुलाने पर	एस.टी. / पर्वतीय 81.5	-	एस.टी. / पर्वतीय 82	-	एस.टी. / पर्वतीय 81.5	-	एस.टी. / पर्वतीय 81.5	-	एस.टी. / पर्वतीय 81.5	-	एस.टी. / पर्वतीय 81.5	-	एस.टी. / पर्वतीय 81.5	-

नोट:-शारीरिक वजन 45 कि0ग्रा0 न्यूनतम (केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु)

परिशिष्ट-“ख(2)”-शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदण्ड

	पदनाम/विभाग का नाम													
	उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), प्लाटून कमाण्डर/गुल्मनायक (पी0ए0सी0/आई0आर0वी0) (गृह विभाग)		अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (गृह विभाग)		उपकारापाल (गृह विभाग)		वन दरोगा (वन विभाग)		उपनिरीक्षक (आबकारी विभाग)		प्लाटून कमाण्डर (होमगार्ड विभाग)		क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी (युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग)	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
क्रिकेट बॉल शू	50 मीटर	20 मीटर	50 मीटर	20 मीटर	50 मीटर	20 मीटर	50 मीटर	20 मीटर	50 मीटर	20 मीटर	50 मीटर	20 मीटर	50 मीटर	20 मीटर
लम्बीकूद	13 फीट	08 फीट	13 फीट	08 फीट	13 फीट	08 फीट	13 फीट	08 फीट	13 फीट	08 फीट	13 फीट	08 फीट	13 फीट	08 फीट
चिनिंग अप (बीम)	05 बार	—	05 बार	—	05 बार	—	05 बार	—	05 बार	—	05 बार	—	05 बार	—
दौड़ व चाल	05 किमी-32 मिनट में	02 किमी-15 मिनट में	90मीटर (65किग्रा वजन सहित)-01 मिनट में	90मीटर (45किग्रा वजन सहित)-01 मिनट में	05 किमी-32 मिनट में	02 किमी-15 मिनट में	25 किमी-04 घण्टे में	14 किमी-अधिकतम 04 घण्टे में	05 किमी-32 मिनट में	02 किमी-15 मिनट में	05 किमी-32 मिनट में	02 किमी-15 मिनट में	05 किमी-32 मिनट में	02 किमी-15 मिनट में
शटल रेस(25×4 मी.)	—	30सेकण्ड में	—	30सेकण्ड में	—	30सेकण्ड में	—	30सेकण्ड में	—	30सेकण्ड में	—	30सेकण्ड में	—	30सेकण्ड में

नोट:-सभी अभ्यर्थियों को प्रत्येक इवेंट में प्रतिभाग करते हुए अर्हता (Qualify) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 412037 dated 09 June, 2026 for general information. July

Government of Uttarakhand
Personnel and Vigilance Section-2
 No. 412035 /XXX(2)/2026-E 72801
 Dehradun, Dated 09 June, 2026 July

Notification
Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules to amend the Uttarakhand Uniformed Sub-Inspector Posts Direct Recruitment Selection Procedure Rules, 2025, namely:-

The Uttarakhand Uniformed Sub-Inspector Posts Direct Recruitment Selection Procedure (Amendment) Rules, 2026.

Short title and commencement	1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Uniformed Sub-Inspector Posts Direct Recruitment Selection Procedure (Amendment) Rules, 2026.
Amendment of Rule 10	(2) It shall come into force at once. 2. In the 'Uttarakhand Uniformed Sub-Inspector Posts Direct Recruitment Selection Procedure Rules, 2025' (hereinafter referred to as the Principal Rules), for the existing rule 10, as set out in Column 1 below the rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely:-

Column 1
Existing Rule

10. A candidate must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 35 years on the 1st day of July of the calendar year in which vacancies are advertised by the Commission:

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes,

Column 2

Rules hereby substituted

10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 35 years on the first day of July of the calendar year in which the vacancies are advertised by the Commission:

Provided that, excluding the posts of Sub-Inspector (Civil Police/

Other Backward Classes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Intelligence), Platoon Commander/ Gulmanayak (PAC/IRB), Fire Station Second Officer, and Forester, the age limit for direct recruitment to the posts specified in Appendix 'A' shall, from the date of commencement of these rules until December 31, 2028, be governed by the respective Service Rules applicable to said posts;

Provided further that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and such other categories of the State of Uttarakhand as may be notified by the Government from time to time, shall be relaxed to such extent as may be prescribed.

Note:- Subsequent to the first day of the calendar year 2029, the provisions concerning age as stipulated in Rule 10 of the Principal Rules shall come into force and be uniformly applicable to all posts specified in Appendix 'A'.

Amendment of Appendix 'B'(1) and Appendix 'B'(2)

In the Principal Rules, for the existing Appendix 'B'(1) and Appendix 'B'(2) the attached Appendix 'B'(1) and Appendix 'B'(2) shall be substituted.

Digitally signed by
Shailesh Bagauli
Date: 09-07-2026
14:39:17

By Order,
(Shailesh Bagauli)
Secretary.

Appendix--"B(1)"--Physical Standards

Event Name	Post Name/Department Name													
	Sub Inspector (Civil Police/Intelligence), Platoon Commander/Gulmna yak (P.A.C./I.R.B.) (Home Department)		Fire Station Second Officer (Home Department)		Deputy Jailer (Home Department)		Forester (Forest Department)		Excise Sub Inspector (Excise Department)		Platoon Commander (Homeguard Department)		Regional Youth Welfare and Prantiya Rakshak Dal Officer Youth Welfare and Prantiya Rakshak Dal Department)	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female
Height (in cm)	General / SC / OBC 167.7	152	General / SC / OBC 167.7	152	General / SC / OBC 165	152	General / SC / OBC 163	150	General / OBC 167.6	152	General / SC / OBC 165	152	General / SC / OBC 165	152
	ST 160	147	ST 160	147	ST 157.5	147	ST 152	145	SC/ST 160	147	ST 157.5	147	ST 157.5	147
	Hilly Area 162.6	147	Hilly Area 162.6	147	Hilly Area 160	147	Hilly Area 152	145	Hilly Area 162.6	147	Hilly Area 160	147	Hilly Area 160	147
Chest (in cm) Without Expansion	General / SC / OBC 78.8	—	General / SC / OBC 78.8	—	General / SC / OBC 78.8	—	General / SC / OBC 78.8	—	General / SC / OBC 78.8	—	General / SC / OBC 78.8	—	General / SC / OBC 78.8	—
	ST / Hilly Area 76.5	—	ST / Hilly Area 76.5	—	ST / Hilly Area 76.5	—	ST / Hilly Area 76.5	—	ST / Hilly Area 76.5	—	ST / Hilly Area 76.5	—	ST / Hilly Area 76.5	—
	General / SC / OBC 83.8	—	General / SC / OBC 84.3	—	General / SC / OBC 83.8	—	General / SC / OBC 83.8	—	General / SC / OBC 83.8	—	General / SC / OBC 83.8	—	General / SC / OBC 83.8	—
Chest (in cm) With Expansion	ST / Hilly Area 81.5	—	ST / Hilly Area 82	—	ST / Hilly Area 81.5	—	ST / Hilly Area 81.5	—	ST / Hilly Area 81.5	—	ST / Hilly Area 81.5	—	ST / Hilly Area 81.5	—

Note--Minimum 45 Kg Weight (Only for Female Candidates)

Appendix--“ B(2)”--Physical Efficiency Exam Criteria

Event Name	Post Name/Department Name													
	Sub Inspector (Civil Police/Intelligence), Platoon Commander/Gulmnyak (P.A.C./I.R.B.) (Home Department)		Fire Station Second Officer (Home Department)		Deputy Jailor (Home Department)		Forester (Forest Department)		Excise Sub Inspector (Excise Department)		Platoon Commander (Homeguard Department)		Regional Youth Welfare and Prantiya Rakshak Dal Officer (Youth Welfare and Prantiya Rakshak Dal Department)	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female
Cricket Ball Throw	50 Meter	20 Meter	50 Meter	20 Meter	50 Meter	20 Meter	50 Meter	20 Meter	50 Meter	20 Meter	50 Meter	20 Meter	50 Meter	20 Meter
Long Jump	13 Feet	08 Feet	13 Feet	08 Feet	13 Feet	08 Feet	13 Feet	08 Feet	13 Feet	08 Feet	13 Feet	08 Feet	13 Feet	08 Feet
Chin Up (Beem)	05 Times	—	05 Times	—	05 Times	—	05 Times	—	05 Times	—	05 Times	—	05 Times	—
Running and Walking	05 Km—in 32 minutes	02 Km—in 15 minutes	90 meter (with 65 Kg weight)—in 01 minute	90 meter (with 45 Kg weight)—in 01 minute	05 Km—in 32 minutes	02 Km—in 15 minutes	25 Km—in 04 hours	14 Km—in maximum 04 hours	05 Km—in 32 minutes	02 Km—in 15 minutes	05 Km—in 32 minutes	02 Km—in 15 minutes	05 Km—in 32 minutes	02 Km—in 15 minutes
Shuttle Race (25×4 m)	—	in 30 seconds	—	in 30 seconds	—	in 30 seconds	—	in 30 seconds	—	in 30 seconds	—	in 30 seconds	—	in 30 seconds

Note: All candidates will be required to participate in every event and must qualify each event.